

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,

इन्दौर

क्र./पाठ्य/अधि./2018/1757

दिनांक 23 AUG 2018

संशोधित – अधिसूचना

एतद द्वारा सर्व सम्बन्धितों को सूचित किया जाता है, कि दिनांक 10/8/2018 को सम्पन्न रथाई समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. शैक्षणिक /पाठ्य/अधि./2018/1536 दिनांक 6 अगस्त 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए अध्यादेश क्रमांक 17 की कंडिका 2 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित बी.बी.ए.का अध्यादेश क्रमांक 254 विद्यमान होने के कारण बी.बी.ए. पाठ्यक्रम को सत्र 2018–2019 से पूर्वानुसार सेमेस्टर पद्धति से ही संचालित किया जायगा। बी.बी.ए. का पाठ्यक्रम पूर्ववत् संचालित सेमेस्टर पद्धति का ही लागु रहेगा, जो विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है। साथ ही बी.सी.ए. पाठ्यक्रम वार्षिक पद्धति के अनुसार संचालित होगा।

आदेशानुसार

Dr. R. D. Sharma
कुलसचिव

क्र./पाठ्य/अधि./2018/1757

इन्दौर, दिनांक
23 AUG 2018

प्रतिलिपि:-

- प्राचार्य/प्राचार्या समस्त सम्बन्धित दे.अ.वि.वि. से सम्बन्ध महाविद्यालय, इन्दौर।
- विभागाध्यक्ष, आय.टी. सेन्टर की ओर इस निवेदन के साथ फिकवे इस अधिसूचना को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
- कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।
- उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय)
- सम्बन्धित सहायक संकाय (परीक्षा / गोपनीय)
- निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद दे.अ.वि.वि. इन्दौर।
- डीन, छात्र कल्याण दे.अ.वि.वि. इन्दौर।
-

for R. D. Sharma
सहा.कुलसचिव (शैक्ष.)

✓